न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : 36/2021
GCMS NO. : **2021/68**

–: वादीगण :–

1. भगवानराम पुत्र छगनाराम
2. नरसिंगराम पुंत्र छगनाराम
3. पेमाराम पुत्र भीकाराम
4. चुतराराम पुत्र भीकाराम
5. सुरेश पुत्र भीकाराम
6. मंगलाराम पुत्र प्रतापराम जाति–माली निवासी आ. कालू तहसील जैतारण।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. कालूराम पुत्र घेवरराम
2. बाबूलाल पुत्र घेवरराम
3. हरिराम पुत्र गोकलराम
4. मदनलाल पुत्र गोकलराम
5. भागूराम पुत्र गोकलराम
6. देवाराम पुत्र गोकलराम
7. शान्ति पुत्री गोकलराम
8. गोविन्दराम पुत्र कानाराम
9. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम
10. दानाराम पुत्र कानाराम
11. जगदीश पुत्र कानाराम
12. भींयाराम पुत्र कानाराम
13. हुकमाराम पुत्र पुनाराम
14. रामप्यारी बेवा कानाराम
15. नाथूराम पुत्र नारायण
16. कवरीलाल पुत्र निहालराम
17. किस्तुराम फौत के का. मु.
    - 17.1 इन्द्रा देवी बेवा किस्तुरराम
    - 17.2 अशोक पुत्र किस्तुरराम
    - 17.3 रामरख पुत्र किस्तुरराम
    - 17.4 सज्जनराम पुत्र किस्तुरराम
18. छोटूराम पुत्र निहालराम
19. श्रवणराम पुत्र निहालराम
20. ज्ञानचंद पुत्र निहालराम जातियान–माली निवासी आ. कालू, तहसील–जैतारण।
21. तहसीलदार, जैतारण।

<u>राजस्ववादबाबत्</u> **तकास्मा आराजी** एवं स्थाई निषेधाज्ञा **अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** **तारीख रजूः– 24.03.2021**

उपस्थितः– 1. श्री चुतराराम भाटी व [illegible] अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री चंदन सिंह गोयल, अधिवक्ता [illegible]गण।

:: निर्णय :: दिनांकः–23/05/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

वकील मय वादी ने एक [illegible] बंटवाड़ा एवं [illegible] निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी [illegible]धिनियम 1955, [illegible]हत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आ.कालू हल्का– आ.कालू चक नम्बर –2 में वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तेनी शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

ीन खसरा नम्बर 780 रकबा 26 बीघा किश्म बारानी अव्वल की आई हुई है
ीगण व प्रतिवादीगण सभी अपने अपने हिस्से माफिक मौके पर अलग अलग
श्त करते आ रहे है मौके पर उक्त जमीन के चार बन्ट किये हुए है तथा मेहन्दी
फसल बोई हुई है मौके का नजरी नक्शा बनाकर दावा के साथ पेश किया जा
ा है माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है मौके के नजरी
क्शे को दावा का एक भाग माना जावें। खसरा नम्बर 780 रकबा 26 बीघा
मीन के हिस्सेदार ज्यादा होने से आए दिन माट, डोली को लेकर विवाद होता
ता है तथा अपने कब्जे अनुसार तारबन्दी भी की हुई है और कुछ खातेदारान् ने
र दिवारी बना ली है उक्त जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग 458 पर आई हुई होने से
ई खातेदारान् की नियत में फर्क आ गया जबकि उक्त मुतनाजा जमीन का
टवाड़ा कई वर्षो पहले मौके पर किया हुआ है और अलग अलग काश्ते आ रहे है।
दीगण अपने हिस्से की जमीन का आबादी में भूमि रूपान्तरण कराना चाहते है
ौर बैंक से ऋण लेना चाहते है जब तक राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा होकर नक्शे में
रमीम नही हो जाता तब तक आबादी में भूमि रूपान्तरण नहीं करवा सकते उक्त
मीन के पास सड़क के पास पेट्रोल पम्प होने से वादीगण अपने हिस्से की जमीन
ाबादी में करवाकर होटल बनाना चाहते है ताकि अपना जीवन निर्वाह आराम से
र सके इसलिए बिना बंटवाड़ा किये नया कार्य करना असम्भव है इसलिए मुतनाजा
मीन का बटवाड़ा नजरी नक्शे एवं कब्जे अनुसार किया जाना जरूरी है। वादीगण
पने हिस्से की जमीन में खाद डालकर उपजाऊ बनाना चाहते हैं जब तक राजस्व
कर्ड में बटवाडा नहीं हो जाता है तब तक अपने हिस्से की जमीन को वादीगण
पजाऊ नहीं बना सकते हैं। इसलिए उक्त आराजी का बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक
। वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 22-2-2021 को मुतनाजा जमीन का
मौके पर कब्जा अनुसार बंटवाडा करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर
देया और कहाकि बंटवाड़ा अभी नहीं करेंगे जैसे काश्त करते आ रहे हो उसी
माफिक काश्त करते रहेगे प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया जानबूझकर
बंटवाड़ा करना नहीं चाहते हैं वादीगण व प्रतिवादी के संयुक्त परिवार बड़ा होने से
आपस में झगड़ा विवाद होता रहता है इसलिए बंटवाड़ा करना आवश्यक हो गया है।
जब तक उक्त आराजी का बंटवाड़ा नहीं हो जावे तक प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से
में कोई किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से रोका
जावें। प्रतिवादी संख्या 21 तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर होने से व दावा बंटवाडा
का होने से आवश्यक पक्षकरार होने से पक्षकार बनाया गया है।वादीगण का बिनाय
दावा दिनांक 22/2/2021 को जब प्रतिवादीगण ने उक्त मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा
करने से मना करने पर बमुकाम ग्रा.कालू में पैदा हुआ जो अदालत बाला के
क्षेत्राधिकार में है व बाद अन्दर मयाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को तलब किया।
प्रतिवादीगण संख्या 16 से 20 को बार बार रूक रूक कर आवाजे दिलाई गई
बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहेने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की
जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 15 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:37:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

मिल मिसल है। प्रतिवादीगण की ओर जवाबदावा पेश नही कर माफिक राजस्व र्कार्ड बाद प्राथमिक डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान की। बहस उभयपक्ष धिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, पथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस उभयपक्ष धिवक्ता पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा आ. कालु पटवार ल्का आ० कालु ।। सम्वत् 2074–2077 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण वं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हक हिस्से के खातेदार काश्तकार र्ज है, खसरा नम्बर 780 रकबा 26 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक–हिस्से ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना चित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध तिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा आ.कालू पटवार ल्का आ.कालू ।। के खसरा नम्बर 780 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी अव्वल की ूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की , बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बौंउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग र्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने ेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/324 दिनांक 07/04/2022 द्वारा आदेशित केया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2022/3299 दिनांक 13/05/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा०मि० की गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा आ.कालू पटवार हल्का आ.कालू ।। के खसरा नम्बर 780 रकबा 26 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान
1.	निहालराम पुत्र गिरधारीराम फौत के का.मु. कंवरीलाल छोटूराम श्रवणराम ज्ञानचंद पिता निहालराम सेणी देवी किरणदेवी पुत्रियां निहालराम अशोक सजन रामरख पि. किस्तुरराम इन्द्रादेवी पत्नी किस्तुरराम कौम माली सा.देह खातेदार	78[illegible]	[illegible].1898	बारानी अव्वल	1.50
		780/1[illegible]	0.2000	बारानी अव्वल	
	योग	2	0.3898	–	1.50
2.	नाथूराम पुत्र नारायणराम कौम माली सा.	780/14	0.1898	बारानी अव्वल	1.50

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला पाली

	देह खातेदार	780/12	0.2000	बारानी अव्वल	
	योग	2	**0.3898**	–	1.50
	हुकमाराम पुत्र पूनाराम कौम माली सा.देह खातेदार रहन एसबीआई आ.कालू	780/9	0.4706	बारानी अव्वल	1.80
	योग	1	**0.4706**	–	1.80
	ओमप्रकाश गोविन्दराम दानाराम जगदीश भींयाराम पि. कानाराम रामप्यारी पत्नी कानाराम कौम माली सा. देह खातेदार रहन जगदीश व दानाराम का हि. एसबीआई आ0कालू भीयाराम का हि. आरएमजीबी आ0कालू	780/11	0.4706	बारानी अव्वल	1.80
	योग	1	**0.4706**	–	1.80
	निहालराम पुत्र गिरधारीराम फौत के का.मु. कंवरीलाल छोटूराम श्रवणराम श्रानचंद पि. निहालराम सेणीदेवी किरणदेवी पुत्रियां निहालराम अशोक सजन रामरख पि. किस्तूरराम इन्द्रादेवी पत्नी किस्तूरराम 1/4 नाथूराम पुत्र नारायणराम 1/4 हुकमाराम पुत्र पूनाराम 1/4 ओमप्रकाश गोविन्दराम दानाराम जगदीश भींयाराम पि. कानाराम रामप्यारी पत्नी कानाराम 1/4 कौम माली सा. देह खातेदार रहन हुकमाराम जगदीश दानाराम का हि. एसबीआई आ.कालू भींयाराम का हि. आरएमजीबी आ.कालू	780/10	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.23
	योग	1	**0.0600**	–	0.23
6.	कालूराम बाबूराम पि. घेंवरराम कौम माली सा.देह खातेदार	780/7	0.6475	बारानी अव्वल	2.48
	योग	1	**0.6475**	–	2.48
7.	नरसिंगराम भगवानराम पि. छगनाराम कौम माली सा. देह खातेदार रहन नरसिंगराम का हि. आरएमजीबी आ.कालू	780	0.4689	बारानी अव्वल	1.79
	योग	1	**0.4689**	–	1.79
8.	मंगलाराम पुत्र प्रतापराम कौम माली सा. देह खातेदार	780/6	0.4689	बारानी अव्वल	1.80
	योग	1	**0.4689**	–	1.80
9.	भीकाराम पुत्र प्रतापराम फौत के का.मु. पेमाराम चुतराराम सुरेश पि. भीकाराम सायरी देवी पत्नी भीकाराम गीतादेवी जानादेवी रतूदेवी पुत्रियां भीकाराम कौम माली सा.देह खातेदार	780/5	0.4689	बारानी अव्वल	1.80
	योग	1	**0.4689**	–	1.80
10	गट्टूडी पत्नी गोकलराम फौत के का.मु. हरिराम देवाराम भागूराम मदनलाल पि. गोकलराम शांतादेवी पुत्री गोकलराम कौम माली सा.देह खातेदार	780/8	0.3237	बारानी अव्वल	1.23
	योग	1	**0.3237**	–	1.23
11	नरसिंगराम भगवानराम पि. छगनाराम 1/3 मंगलाराम पुत्र प्रतापराम 1/3 भीकाराम फौत के का.मु. पेमाराम चुतराराम सुरेश पि. भीकाराम सायरी देवी पत्नी भीकाराम गीतादेवी जानादेवी रतूदेवी पुत्रियां भीकाराम 1/3 कौम माली सा.देह खातेदार रहन	780/4	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.19

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

नरसिंगराम का हि. आरएमजीबी आ.कालू					
योग	1	0.0500		–	0.19

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट ाभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे ाश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। क्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

र्णय आज दिनांक 23/05/2022को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
ज अदालत :-सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
ईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-:: वादीगण :- बनाम -:: प्रतिवादीगण :-

1. भगवानराम पुत्र छगनाराम
2. नरसिंगराम पुत्र छगनाराम
3. पेमाराम पुत्र भीकाराम
4. चुतराराम पुत्र भीकाराम
5. सुरेश पुत्र भीकाराम
6. मंगलाराम पुत्र प्रतापराम जाति-माली निवासी आ. कालू तहसील जैतारण।

1. कालूराम पुत्र घेवरराम
2. बाबूलाल पुत्र घेवरराम
3. हरिराम पुत्र गोकलराम
4. मदनलाल पुत्र गोकलराम
5. भागूराम पुत्र गोकलराम
6. देवाराम पुत्र गोकलराम
7. शान्ति पुत्री गोकलराम
8. गोविन्दराम पुत्र कानाराम
9. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम
10. दानाराम पुत्र कानाराम
11. जगदीश पुत्र कानाराम
12. भींयाराम पुत्र कानाराम
13. हुकमाराम पुत्र पुनाराम
14. रामप्यारी बेवा कानाराम
15. नाथूराम पुत्र नारायण
16. कवरीलाल पुत्र निहालराम
17. किस्तुराम फौत के का. मु.
    - 17.1 इन्द्रा देवी बेवा किस्तुरराम
    - 17.2 अशोक पुत्र किस्तुरराम
    - 17.3 रामरख पुत्र किस्तुरराम
    - 17.4 सज्जनराम पुत्र किस्तुरराम
18. छोटूराम पुत्र निहालराम
19. श्रवणराम पुत्र निहालराम
20. ज्ञानचंद पुत्र निहालराम जातियान- माली निवासी आ. कालू, तहसील- जैतारण।
21. तहसीलदार, जैतारण।

मु०न० :रा०वा० स०:36/2021

राजस्ववादबाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, जगदीश सोलंकी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब .... व श्री चंदनसिंह गोयल मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं सरहद मौजा आ.कालू पटवार हल्का आ.कालू II के खसरा नम्बर 780 रकबा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

5 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित प से किया जाता हैं :–

.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
	निहालराम पुत्र गिरधारीराम फौत के का.मु. कंवरीलाल छोटूराम श्रवणराम ज्ञानचंद पि. निहालराम सेणी देवी किरणदेवी पुत्रियां निहालराम अशोक सजन रामरख पि. किस्तुरराम इन्द्रादेवी पत्नी किस्तुरराम कौम माली सा.देह खातेदार	780/13	0.1898	बारानी अव्वल	1.50
		780/15	0.2000	बारानी अव्वल	
	योग	**2**	**0.3898**	–	**1.50**
	नाथूराम पुत्र नारायणराम कौम माली सा. देह खातेदार	780/14	0.1898	बारानी अव्वल	1.50
		780/12	0.2000	बारानी अव्वल	
	योग	**2**	**0.3898**	–	**1.50**
	हुकमाराम पुत्र पूनाराम कौम माली सा.देह खातेदार रहन एसबीआई आ.कालू	780/9	0.4706	बारानी अव्वल	1.80
	योग	**1**	**0.4706**	–	**1.80**
	ओमप्रकाश गोविन्दराम दानाराम जगदीश भींयाराम पि. कानाराम रामप्यारी पत्नी कानाराम कौम माली सा. देह खातेदार रहन जगदीश व दानाराम का हि. एसबीआई आ0कालू भीयाराम का हि. आरएमजीबी आ0कालू	780/11	0.4706	बारानी अव्वल	1.80
	योग	**1**	**0.4706**	–	**1.80**
.	निहालराम पुत्र गिरधारीराम फौत के का.मु. कंवरीलाल छोटूराम श्रवणराम ज्ञानचंद पि. निहालराम सेणीदेवी किरणदेवी पुत्रियां निहालराम अशोक सजन रामरख पि. किस्तूरराम इन्द्रादेवी पत्नी किस्तूरराम 1/4 नाथूराम पुत्र नारायणराम 1/4 हुकमाराम पुत्र पूनाराम 1/4 ओमप्रकाश गोविन्दराम दानाराम जगदीश भींयाराम पि. कानाराम रामप्यारी पत्नी कानाराम 1/4 कौम माली सा. देह खातेदार रहन हुकमाराम जगदीश दानाराम का हि. एसबीआई आ.कालू भींयाराम का हि. आरएमजीबी आ.कालू	780/10	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.23
	योग	**1**	**0.0600**	–	**0.23**
6.	कालूराम बाबूराम पि. घेंवरराम कौम माली सा.देह खातेदार	780/7	0.6475	बारानी अव्वल	2.48
	योग	**1**	**0.6475**	–	**2.48**
7.	नरसिंगराम भगवानराम पि. छगनाराम कौम माली सा. देह खातेदार रहन नरसिंगराम का हि. आरएमजीबी आ.कालू	780	0.4689	बारानी अव्वल	1.79
	योग	**1**	**0.4689**	–	**1.79**
8.	मंगलाराम पुत्र प्रतापराम कौम माली सा. देह खातेदार	78[illegible]	0.4689	बारानी अव्वल	1.80
	योग	**1**	**0.4689**	–	**1.80**
9.	भीकाराम पुत्र प्रतापराम फौत के का.मु. पेमाराम चुतराराम सुरेश पि. भीकाराम सायरी देवी पत्नी भीकाराम गीतादेवी	780/5	0.4689	बारानी अव्वल	1.80

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

जानादेवी रतूदेवी पुत्रियां भीकाराम कौम माली सा.देह खातेदार				
योग	1	0.4689	–	1.80
गट्टूडी पत्नी गोकलराम फौत के का.मु. हरिराम देवाराम भागूराम मदनलाल पि. गोकलराम शांतादेवी पुत्री गोकलराम कौम माली सा.देह खातेदार	780/8	0.3237	बारानी अव्वल	1.23
योग	1	0.3237	–	1.23
नरसिंगराम भगवानराम पि. छगनाराम 1/3 मंगलाराम पुत्र प्रतापराम 1/3 भीकाराम फौत के का.मु. पेमाराम चुतराराम सुरेश पि. भीकाराम सायरी देवी पत्नी भीकाराम गीतादेवी जानादेवी रतूदेवी पुत्रियां भीकाराम 1/3 कौम माली सा.देह खातेदार रहन नरसिंगराम का हि. आरएमजीबी आ.कालू	780/4	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.19
योग	1	0.0500	–	0.19

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। मिसल त्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/05/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला–पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	05–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	05–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः– मिजानः–	08–00		05–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:41 IST
Reason: SelfAttested